अपील सूचना अधिकार संख्या 37/2022 (GCMS 2022/124)(आईटीआई पोर्टल नं. 212665112260714) गुरप्रीत सिंह निवासी आर.एस.सी. 20–21, क्रिकेट एकेडमी रोड, सैक्टर–16, रिद्धि–सिद्धि–।।, श्रीगंगानगर बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

06.07.2022

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी गुरप्रीत सिंह स्वयं उपस्थित हुआ। अपीलार्थी ने कथन किया कि उसने लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) के समक्ष सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 06.04.2022 से 03 बिन्दुओं की सूचना चाही थी जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा अनुचित कारण देकर एवं असद्भावपूर्वक तथा बुरी मंशा रखते हुए सूचना देने से इंकार कर दिया है। इसलिए अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत शास्ति लगाने एवं वांछित सूचनाएं उसे उपलब्ध करवाने हेतु यह अपील पेश की है।

मैनें, पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 06.04.2022 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी से निम्न सूचना चाही थी:

> जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर के समक्ष दिनांक 12.10.2020 को एक शिकायत पत्र लगाया गया था जिसक विषय "अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर ... बिश्नोई द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते ... तथा ... दिखाते हुए जांच में तथ्यों की अनदेखी कर ... को तोड़ मरोड़ कर तथा फ्रेम कर, पुलिस अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बचाने और अपराधियों का साथ देने बाबत।" तथा जिसका डिस्पैच

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नम्बर 10921 में स्थापना शाखा में फॉरवर्ड किया गया था। मैनें व्यक्तिगत रूप से कई बार स्थापना शाखा में जाकर इस शिकायत का पत्र के निस्तारण की जानकारी लेनी चाही परन्तु हर बार यह कहा गया कि अभी तक शिकायत पत्र का कोई निस्तारण नहीं किया गया है।

अब तो कोविड–19 महामारी का प्रभाव भी कम हो चुका है अतः मुझे पूरी आशा है कि आपके द्वारा मेरी इस शिकायत का निस्तारण कर दिया गया होगा अतः आप उपरोक्त शिकायत के निस्तारण से संबंधित निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराने का श्रम करें।

1. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त शिकायत के बिन्दु संख्या 1 से 13 के किए बिंदुवार निस्तारण की प्रमाणित प्रति देवें।
2. जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त जांच के संबध में लिए गए कलम बंद बयानों की प्रमाणित प्रति देवें।
3. गुरप्रीत सिंह के द्वारा प्रमाण के रूप में दिए गए दस्तावेजों के अलावा, इस जांच मे प्रमाण के रूप में संलग्न किए गए सभी दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति देवें जिसके आधार पर जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा मामले का निस्तारण किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested

प्रभारी अधिकारी, स्थापना शाखा, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ.1(23)( ) स्था./22/5895 दिनांक 20.06.2022 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा प्रेषित अपील द्वारा श्री गुरप्रीत सिंह के सम्बन्ध में निवेदन है कि प्रार्थी को इस कार्यालय के पंजीकृत पत्र क्रमांक 3844 दिनांक 13.05.2022 द्वारा वांछित सूचना भिजवाई जा चुकी है। प्रार्थी को सूचित किया गया था, **सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1)( ) के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2021 श्री गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनांए मिमो की प्रतियां, जांच आदि नोटिस एवं आदेश व्यक्तिगत श्रेणी में आते है, यानि यह संगठन एवं कर्मचारी/अधिकारी के बीच का मामला है। ये सूचनाए तभी सार्वजनिक हो, जब व्यापक जनहित में आवश्यक हो।** सुलभ संदर्भ हेतु उक्त पत्र की चित्र प्रति सादर सलंग्न प्रस्तुत है।

अतः जवाब अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को उसके प्रार्थना पत्र के संबध में कार्यालय पत्रांक 344 दिनांक 13.05.2021 द्वारा उपलब्ध कर दी गई है। कृपया अपील खारिज फरमावें।

-sd-
(डॉ. हरीतीमा)
प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ1(23)( ) स्था/21/3844 दिनांक 13.05.2022 से अपीलार्थी को निम्नानुसार जवाब दिया है :

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

क्र.सं.	चाही गई जानकारी	उत्तर
1	जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त शिकायत के बिन्दु 1 से 13 के किए बिन्दुवार निस्तारण की प्रमाणित प्रति देवे।	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (1)( )के अनुसार एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.10.2012श्री गिरीश रामचन्द्र देशपाण्डे बनाम केन्द्रीय सूचना आयोग अनुसार प्रार्थी द्वारा वांछित सूचनाएं मिमो की प्रतियां, जांच आदि नोटिस एवं आदेश व्यक्तिगत श्रेणी में आते है, यानि यह संगठन एवं कर्मचारी /अधिकारी के बीच का मामला है। ये सूचनाएं तभी सार्वजनिक हो जब व्यापक जनहित में आवश्यक हो। आप द्वारा प्रार्थना पत्र में सूचना चाहने के संबध में कोई व्यापक जनहित अंकित नही किया गया है। अतः आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 06.04.2022 (इस कार्यालय में प्राप्ति दिनांक 12.04.2022) अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है।
2	जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा उपरोक्त जांच के संबध में लिए गये सभी कलम बंद बयानो की प्रमाणित प्रति देवे।	
3	गुरप्रीत सिंह के द्वारा प्रमाण के रूप में दिये गये दस्तावेजों के अलावा, इस जाच में प्रमाण के रूप में सलंग्न किये गये सभी दस्तावेजो की प्रमाणित प्रति देवे। जिसके आधार पर जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा मामले का निस्तारण किया गया।	

sd-
(डॉ. हरितिमा)
अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested

चूंकि अति. जिला कलक्टर (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी स्थापना शाखा श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को अपने पत्र क्रमांक 3844 दिनांक

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

13.05.2022 से उक्तानुसार सूचित किया जा चुका है साथ ही अपीलार्थी की द्वारा वांछित सूचना कर्मचारी और नियोक्ता के बीच का मामला है जो कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी है जिसमें किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक हित नहीं है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)**(ञ)** के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना देय नहीं है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)(ञ) निम्नानुसार अवलोकनीय है**

> (ञ) सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि यथास्थिति, केन्द्रीयलोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का वह समाधान नही हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है।

उक्त के सम्बन्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील संख्या 22/2009 अनवानी केनरा बैंक बनाम सी.एस. श्याम में दिनांक 31.08.2017 के पैरा संख्या 12 में निम्नानुसार उल्लेख किया गया है :

> We are in agreement with the CIC and the courts below that the details called for by the petitioner i.e. copies of all memos issued to the third respondent, show-cause notices and orders of censure/punishment, etc. are qualified to be personal information as defined in clause (j) of Section 8(1) of the RTI Act. The performance of an employee/officer in an organisation is primarily a matter between the employee and the employer and normally those aspects are governed by the service rules which fall under the expression "personal information", the disclosure of

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

which has no relationship to any public activity or public interest. On the other hand, the disclosure of which would cause unwarranted invasion of privacy of that individual. Of course, in a given case, if the Central Public Information Officer or the State Public Information Officer or the appellate authority is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information, **appropriate orders could be passed but the petitioner cannot claim those details as a matter of right.**

चूंकि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना कर्मचारी की व्यक्तिगत जानकारी है जिसमें किसी प्रकार का कोई सार्वजनिक हित नहीं है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8(1)**(ञ)** के अनुसार अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना देय नहीं है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज की जानी उचित होगी।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के उक्त न्यायिक दृष्टांत में दिये गये मार्गदर्शन को ध्यान रखते हुए अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती हैं। आदेश की प्रति अति. जिला (प्रशासन) एवं प्रभारी अधिकारी (स्थापना शाखा), श्रीगंगानगर को पालनार्थ एवं अपीलार्थी को सूचनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 06.07.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.07.19 11:16:25 IST
Reason: SelfAttested